



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270528
CG-DL-E-26022026-270528

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]
No. 146]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2026

फा. सं. आरसीडी-10001/4/2021-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई-(पार्ट-1).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 20 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना तारीख 18 अप्रैल, 2017 में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित भारतीय रेलवे के अधीन क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:-

तालिका में, वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात, सम्बंधित स्तंभों में निम्न लिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-

क्र. सं.	खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान और रेलवे
"113	श्री नीरज कुमार गुप्ता	उत्तर मध्य रेलवे "

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./723/2025-26]

टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा.सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग-I), तारीख 18 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा.सं. आरसीडी-10001/4/2021-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई-(पार्ट-1), तारीख 15 सितम्बर, 2025 द्वारा संशोधित की गई थी

**FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2026

F. No. RCD-10001/4/2021-Regulatory-FSSAI-(part-1).— In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers as Food Safety Officer for the area as mentioned against their names under Indian Railways with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification dated the 18th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 20th April, 2017:-

In the table, after the existing entries, the following shall be inserted in the respective columns, namely:-

Sr. No.	Name of FSO	Place of posting & Railway
"113	Sh. Niraj Kumar Gupta	North Central Railway"

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./723/2025-26]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide No. F. 1(42) 2011/Railways/FSSAI (Part-I), dated the 18th April, 2017 and last amended vide notification F. No. RCD-10001/4/2021-Regulatory-FSSAI-(part-1), dated 15th September, 2025.